Castes or the Schedules Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (Including Short Term Contract): Officers of the Government of India or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years on the closing date of receipt of application.	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: — 1. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau - Chairperson; 2. Deputy Director, Narcotics Control Bureau - Member; and 3. Assistant Director, Narcotics Control Bureau - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making Direct Recruitment.

[F. No. I-12014/05/2024-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 146.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सहायक निदेशक (साइबर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सहायक निदेशक (साइबर), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (साइबर)।	*01 (वर्ष 2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पदोन्नति पाने वालों के लिए दो साल।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंर्तगत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के ऐसे अधीक्षक (साइबर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-142400 रुपये) में ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान में आयोजित दो सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन: - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (रु. 56100-177500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि; या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें:- 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव या निदेशक , गृह मंत्रालय – सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें: 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य; 3. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य	केवल प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर एप्लीकेशन में विशेषज्ञता के साथ); या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (आ) साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध या साइबर फोरेंसिक में चार वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** डिजिटल फुट प्रिंटिंग और डिजिटल फोरेंसिक में दो वर्ष का अनुभव या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन में सर्टिफिकेट कोर्स। **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही पद पर आमेलन के लिए पात्र होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. आई-12014/04/2024-एनसीबी-2]

वंदना चौधरी, उप सचिव

New Delhi, the 5th August, 2026

G.S.R. 146.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Cyber) in the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, namely: —

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Assistant Director (Cyber), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Assistant Director (Cyber).	*01 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which deputation (including short-term contract) or Absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Superintendent (Cyber) of Narcotics Control Bureau with eight	Departmental Promotion Committee (for	Consultation with the Union Public Service

years of regular service in Level-8 (Rs. 47600-142400) in pay matrix and successfully undergone two weeks of mandatory training program for which training program to be prepared by Narcotics Control Bureau or at another institute approved by Narcotics Control Bureau. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract) or Absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organisations.; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service after appointment thereto on regular basis in posts in the Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' regular service after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as under: (A) Masters Degree in Cyber Security and Forensics or Digital Forensics from a recognised University or Institute; or (i) Masters Degree in Computer Application or Computer Science from a recognised University or Institute; or (ii) Master of Technology (with specialisation in Computer Application) from a recognised University or Institute; or (iii) B.E or B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Computer Application or Electronics or Communication Engineering from a recognised University or institute. (B) Four years' experience in Cyber security or Cyber crime or Cyber forensic. Desirable: Two years of experience in digital foot printing and digital forensic or Certificate course in the Computing Technology Industry Association. **Note 1:** Officers from the Central Government or State Government or Union territory administration shall only be eligible for absorption to the post. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this	considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission – Chairman; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau – Member; and 3. Joint Secretary or Director, Ministry of Home Affairs – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation) consisting of: 1. Director General or Additional Director General, Narcotics Control Bureau – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member; and 3. Deputy Director General, Narcotics Control Bureau – Member.	Commission is necessary for promotion only.